



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-27/2017-425 दिनांक : 8/6/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/चतरा दक्षिणी प्रमण्डल/कोडरमा वन प्रमण्डल/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु कुल **रु0 371.687 लाख (तीन करोड़ एकाहत्तर लाख अड़सठ हजार सात सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0बजट-32/2017-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/2020-02/आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 371.687 लाख (तीन करोड़ एकाहत्तर लाख अड़सठ हजार सात सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	358.513
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	13.174
कुल :-		371.687

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

(Signature)

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।



14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्म्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संघारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।



(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017-425 दिनांक-8/6/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/चतरा/हजारीबाग/एनवीस, सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017-425 दिनांक-8/6/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/चतरा/कोडरमा/हजारीबाग/गढ़वा/लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10012.37	300.00	10312.37
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	140.00	14.017	0.420	14.437
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	140.00	14.017	0.420	14.437
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	305.00	30.538	0.915	31.453
4	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	238.680	23.898	0.716	24.614
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	180.00	18.022	0.540	18.562
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	50.00	5.006	0.150	5.156
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	180.00	18.022	0.540	18.562
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	200.00	20.025	0.600	20.625
योग :-		1433.68	143.545	4.301	147.846

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12814.34	500.00	13314.34
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	250.00	32.036	1.250	33.286
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	150.00	19.222	0.750	19.972
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	12.814	0.500	13.314
4	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50.00	6.407	0.250	6.657

5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	65.00	8.329	0.325	8.654
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	162.00	20.759	0.810	21.569
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	100.00	12.814	0.500	13.314
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	200.00	25.629	1.000	26.629
योग :-		1077.00	138.010	5.385	143.395

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			16550.30	750.00	17300.30
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	16.550	0.750	17.300 ✓
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	16.550	0.750	17.300 ✓
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	45.000	7.448	0.338	7.786
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	80.00	13.240	0.600	13.840
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	100.00	16.550	0.750	17.300 ✓
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	40.00	6.620	0.300	6.920
योग :-		465.00	76.958	3.488	80.446
सकल योग :-		2975.68	358.513	13.174	371.687

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0ब0-32/2017-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 09.08.2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	4358.62	0.00	4358.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3785.77		3785.77	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1867.98		1867.98	
योग :-			32.16	10012.37	300.00	10312.37	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	23.00	7160.59	0.00	7160.59	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.16	3785.77	0.00	3785.77	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1867.98	0.00	1867.98	
योग—			41.16	12814.34	500.00	13314.34	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	10896.55	0.00	10896.55	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3785.77		3785.77	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1867.98		1867.98	
योग :-			53.16	16550.30	750.00	17300.30	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2017/425

दिनांक - 08-Jun-2021

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25424	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	4,605,300.00 रुपये छयालीस लाख पाँच हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25425	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	4,978,900.00 रुपये उनचास लाख अठहत्तर हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25427	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	5,990,200.00 रुपये उनसठ लाख नब्बे हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पचपन लाख चौहत्तर हजार चार सौ

15,574,400.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PR. SECY. DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25428	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	3,775,300.00 रुपये सैंतीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ 
5	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25429	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	3,959,100.00 रुपये उनचासीस लाख उनसठ हजार एक सौ 
6	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25430	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 03 - मजदूरी	2,576,500.00 रुपये पच्चीस लाख छहत्तर हजार पाँच सौ 

योग:

रुपये दो करोड अठावन लाख पिय्यासी हजार तीन सौ

10,310,900.00

क्रमिक योग:

25,885,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

Sd/- PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25431	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	4,738,600.00 रुपये सैतालीस लाख अड़तीस हजार सौ 
8	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25432	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	5,227,400.00 रुपये बावन लाख सत्ताइस हजार चार सौ 
9	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	25433	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	167,000.00 रुपये एक लाख सड़सठ हजार 

योग:

रुपये तीन करोड साहठ लाख अठारह हजार तीन सौ

10,133,000.00

क्रमिक योग:

36,018,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADP/ BCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25434	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	192,000.00 रुपये एक लाख बयानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25435	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	216,500.00 रुपये दो लाख सोलह हजार पौंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25436	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	130,400.00 रुपये एक लाख तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड पैंसठ लाख सत्तावन हजार दो सौ

538,900.00

क्रमिक योग:

36,557,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADOL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25437	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	146,500.00 रुपये एक लाख छयालीस हजार पैंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25438	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,000.00 रुपये छयानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25439	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	179,000.00 रुपये एक लाख उन्नासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड उनहत्तर लाख अठहत्तर हजार सात सौ

421,500.00

क्रमिक योग:

36,978,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178958010323	25440	LTRFOR004	190,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये एक लाख नब्बे हजार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. S.F.D LATEHAR	
	58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

योग:

रुपये तीन करोड इकहत्तर लाख अडसठ हजार सात सौ

190,000.00

क्रमिक योग:

37,168,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

SADDI, PCCF DEV JHARKHAND